FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थीगण	**बनाम**	विप्रार्थीगण
1 मनफुलसिंह दतकपुत्र सांवलसिंह जाति पुरोहित निवासी भाखरपुरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (2)		1 हिमतसिंह पुत्र ज्वारसिंह जाति पुरोहित निवासी भाखरपुरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा 2 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

किस्म मुकदमा......धारा 111,128 RLR Act.

मुकदमा नंबरः–61／2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.03.2025	प्रार्थी मनफुलसिंह वगैरह की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री गौतमसिंह ने विप्रार्थी हिमतसिंह वगैरह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 111,128 RLR Act. पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 16.04.2025 को पेश हो। (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) उपखण्ड अधिकारी सिवाना	
16-04-25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित। विप्रार्थीगण का इंतजार होकर पत्रावली आइंदा 23·04·25 को पेश हो। **उपखण्ड अधिकारी** **सिवाना (बालोतरा)**	
23-04-25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते [illegible] रहे हैं। [illegible] विप्रार्थी संख्या 1 [illegible] खातेदारी भूमि [illegible] माद तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते हैं। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.22 13:29:50 IST
Reason: SelfAttested

सेवा में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	नेखमबंदी करवाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।
	लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भाखरपुरा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 159 रकबा 01.5575 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद, पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।
	पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.22 13:29:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

क्रमांकः वाद / 2025 / 781

दिनांक : 23-04-2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
मनफुलसिंह दत्तक पुत्र सांवलसिंह वगैरह		हिम्मतसिंह पुत्र ज्वारसिंह वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं:–61 / 2025

दिनांकः–23.04.2025

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम भाखरपुरा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 159 रकबा 01.5575 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 2000 / –प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
(सिवाना) (बालोतरा)

क्रमांकः वाद / 2025 / 782

दिनांक : 23-04-2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी सिणेर को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्री मनफुलसिंह दत्तकपुत्र सांवलसिंह जाति पुरोहित निवासी भाखरपुरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी
(सिवाना) (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.22 13:29:50 IST
Reason: SelfAttested